



टीचर कम्पेनियन शोट

मूल्य : समानता

शिक्षकों के लिए



Directorate of Education Govt. of NCT of Delhi

A. समानता

क्या आपको मालूम है ?

- भारत की 10% ऊपरी आबादी के पास देश की 73% संपत्ति है। (ऑक्सफाम, 2018)
- एक अग्रणी भारतीय गार्मेंट कंपनी के उच्च कार्यकारी के साल भर के वेतन को कमाने के लिए न्यूनतम निर्धारित वेतन प्राप्त करने वाले प्रामी ण मज़दूर को 941 साल लगेंगे, जबिक कार्यकारी को ग्रामीण कामगार की पूरी ज़िंदगी की कमाई को कमाने के लिए मात्र साढ़े सत्रह घंटे ही लगेंगे । (ऑक्सफाम, 21018)
- विश्व में होने वाले कुल मातृ मृत्यु का पांचवा हिस्सा और शिशु मृत्यु का चौथाई हिस्सा भारत में होता है। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच की कमी का होना है। (यूनिसेफ, 2009)
- विश्व की कुल कुपोषित आबादी में से 24% भारत में है। खाद्य सुरक्षा तक लोगों की निम्न पहुँच इसका कारण है। (जी एन आर, 2018)

ऊपर दिये गये आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि हालाँकि पिछले कुछ दशकों में भारत में आर्थिक विकास की दर ऊँची रही है, परन्तु विकास से बनने वाला धन कुछ उच्च अमीरों के हाथ में संकेन्द्रित हो गया है, और समाज के निचले तबके पर खड़े बहुसंख्यक ग़रीबों को इसका बहुत कम लाभ मिला है। इसके फलस्वरूप देश में आय की असमानता में लगातार बढ़ोतरी हुई है । आर्थिक विकास के अनुरूप कई मानव विकास के संकेतों जैसे कि पोषण स्तर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुँच आदि में खास सुधार नहीं हुआ है। यद्यपि उच्च आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे संविधान में वर्णित सिद्धांत हमें बताते हैं कि एक ऐसा समाज बनाने की ज़रुरत है जहाँ समानता हो और समावेशी वृद्धि हो, जो मानव की स्वतंत्रता और सभी की क्षमताओं के विस्तार के रूप में परिणित हो।

वर्ग, जाति, धर्म, और लिंग के आधार पर असमानता के विविध रूप हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं। इसे खत्म करने के लिए समानता के मूल्य को हमारे संविधान की नींव के रूप में रखा गया है और इसे संविधान के सबसे पहले पन्ने यानि कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता' प्रदान करता है।

समानता का अर्थ है, समान होने की स्थिति जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं और जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता।

अभियान का उद्देश्य:

- 1. इस अभियान में शामिल सभी गतिविधियों का उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सिद्धांतों कि किताब आधारित समझ से हटकर, वास्तविक दुनिया के अनुभव आधारित समझ को विकसित करना है।
- 2. गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सूचना या डाटा इकट्ठा करना या परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि उन्हें संविधान के मूल्य समानता को उत्साह के साथ जाँचने और समझने में मदद करना है।



B. समानता अवधारणा मानचित्र



संविधान की प्रस्तावना में 'स्थिति और अवसर' की समानता को, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14-18 में शामिल किया गया है, जिसे समानता के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 15 'भेदभाव का निषेध' हमारे दैनिक जीवन में समानता के अभ्यास का सबसे प्रासंगिक प्रावधान है।

समानता, जो कि संविधान की प्रस्तावना में दिये गए मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, उसे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिध्दांतों के द्वारा संभव बनाया गया है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं:

• कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण- कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि देश के कानून की नजर में सभी को समान माना जाएगा और किसी भी व्यक्ति के लिए पद, हैसियत आदि के आधार पर किसी तरह का विशेष लाभ नहीं होगा, न ही भेदभाव होगा। कानून का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार। यह बताता है कि समान लोगों को समान समझा जाएगा और उसी अनुपात में असमानों को असमान। क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ एक समान नहीं होतीं, कानून के समान संरक्षण की अवधारणा राज्य को अधिकार देती है कि वह कुछ समूह जो असमानता की स्थिति में हैं, उनके लिए सकारात्मक कदम उठाते हुए, विशेष सुविधा, संरक्षण और अवसर प्रदान करें ताकि उन्हें भी समान अवसर प्राप्त

हों।

- राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नागरिकों को धर्म, नस्ल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, दुकानों,होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। कुओं, स्नान घाटों, सड़क या राज्य के फंड से बने स्थानों के उपयोग या प्रवेश से भी नहीं रोका जायेगा। इसमें राज्य को महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमित भी दी गयी है।
- सार्वजिनक नियुक्तियों में अवसर की समानता इसके तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा । पिछड़े वर्गों, अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त राज्यों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत पदों में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
- **छुआछूत का उन्मूलन** भारत के संविधान ने छुआछूत की व्यवस्था का उन्मूलन किया और किसी भी रूप में छुआछूत की प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया। इस प्रगतिशील प्रावधान और कानून के साथ, भारत में जाति आधारित भेदभाव के अत्यधिक शोषणकारी व्यवहार को समाप्त करने के प्रयास हुए । हालाँकि भारत में अभी भी कईं जगह जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के किस्से आये दिन सुनने को मिलते हैं और इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरे समाज को प्रयास करने की आवश्यकता है।

- उपाधियों का अंत औपनिवेशिक युग के दौरान,ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को राय बहादुर,सवाई, राय साहब, जमींदार आदि खिताब दिए। स्वतंत्रता के बाद इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। संविधान के अनुसार राज्य को कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोका गया है और साथ ही भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने की अनुमित नहीं दी गयी है। हालांकि, यह प्रावधान सैन्य और शैक्षिक और अन्य पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पर लागू नहीं होता है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए, ये विशिष्ट तत्त्व संविधान में दिए गए हैं। राज्य की नीति और विधि बनाने की प्रक्रिया इन्हीं तत्वों पर आधारित होगी। इसमें समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त प्रावधान करना, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन देना, संपत्ति के केन्द्रीकरण रोक कर लोक हित में संसाधनों को समुदा य में वितरण करना, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना और बेरोज़गारी व बुढ़ापे की स्थिति में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करना आदि।

संविधान की कल्पना के अनुसार समानता का मतलब यह नहीं है कि सभी एक समान हों, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी को एक समान अवसर मिले और किसी के साथ भी उसकी पहचान की वजह से अलग तरीके का व्यवहार न हो या उसके साथ कोई भेदभाव न हो। यह एक बुनियादी मानवीय मूल्य है जो मानवीय गरिमा के लिए अनिवार्य है।

समानता को हमारे संविधान में केवल औपचारिक समानता के रूप में न देकर, सही अर्थों में समानता लाने की कोशिश की गयी है। वंचित समुदायों को बराबरी की स्थिति में लाने के लिए दिए गए विशेष प्रावधान इसी बात को सिद्ध करते हैं। चलिए समझते हैं कि किस तरह समता का उपयोग समानता प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

जबिक समानता का मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, वही समता का अर्थ लोगों के बीच की परिस्थिति आधारित या उपचारात्मक अंतर को दूर करना है। समता लोगों को वह सब देने में है जो उनको सफलता के लिए ज़रूरी है। समानता का उद्देश्य न्याय को बढ़ाना है, पर यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग एक ही जगह से शुरुआत करें और उनको एक जैसी मदद की ज़रुरत हो। लेकिन सभी लोग एक जैसी जगह/ परिस्थिति से शुरूआत नहीं करते न ही सबकी ज़रुरत एक समान होती है। समता अन्यायपूर्ण दिखती है, लेकिन यह सभी को समान स्तर पर लाकर सभी को सफलता की ओर ले जाती है।



यह चित्र समान पहुँच को दर्शाता है। अलग अलग लोगों को समान अवसर प्राप्त करने के लिए अलग तरह की सहायता की जरूरत हो सकती है। जिनके पास पहले से ही अवसरों को पाने के लिए बहुत संसाधन और ताकत हो, उनको सहायता की जरूरत नहीं होगी; जिन लोगों के पास कुछ संसाधन और ताकत हो, उन्हें कुछ मदद की आवश्यकता होगी और जो लोग बहुत ही वंचित है, उन्हें अवसरों को पाने के लिए और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता की जरूरत होगी। इस प्रकार, संविधान राज्य को समाज के सबसे कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान बनाने को कहता है, ताकि उनको समान अवसर मिल सकें और सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। आरक्षण सामाजिक न्याय को बढावा देने का मात्र एक तरीका है, जिसको समय - समय पर जाँचा जाना चाहिए ।

भले ही संविधान समानता को बढावा देने के लिए कानून और अधिकार उपलब्ध कराता है, परन्तु एक समान समाज के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यह काफी नहीं है। यह हमारे ऊपर है कि हम उपस्थित असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ, उस पर सोचें और रास्ता तलाशें ताकि सबको समान अवसर मिल सकें।

C. समानता के महीने के लिए गतिविधियाँ


परिचय

- 1. समानता के महीने की शुरुआत में शिक्षक समानता सम्बन्धी विभिन्न आयामों को अवधारणा मानचित्र की सहायता से विद्यार्थियों के समक्ष रखेंगे ताकि उनकी इस मूल्य को लेकर समझ बन सके ।
- 2. इसके बाद एक स्वयं सर्वे के माध्यम से विद्यार्थी समानता से जुड़ी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करेंगे। आगे फिर विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय में से लोगों का सर्वे करेंगे तािक वे दूसरों के समानता आधारित अनुभवों को समझ सकें। इससे छात्र छात्राओं को यह समझ आएगा कि रोजमर्रा के जीवन में समानता का क्या मतलब है और कैसे संसाधन, फायदे और नुकसान, अलग अलग लोगों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत के अनुसार असमान रूप से समाज में वितरित हैं।
- 3. शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सर्वे- प्रश्न पर सोचना चाहिए। शिक्षक विषय पर चर्चा के दौरान विद्यार्थियों के साथ अपने रिफ्लेक्शन भी साझा कर सकते हैं। याद रखें एक अच्छा शिक्षक एक निरंतर सीखने वाला व्यक्ति होता है।

समानता आधारित खेल : एक्शन प्रोजेक्ट (केवल कक्षा 6 से 8) उद्देश्य:

अपने साथी और समुदाय के साथ जुड़ कर, खेल खेलते हुए विद्यार्थी समानता के मूल्य का अनुभव कर पाएंगे। एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी, मूल्य की गहरी समझ बना पाएंगे और दूसरों के प्रति समानुभूति का अनुभव करेंगे।

एक्शन प्रोजेक्ट किस प्रकार किया जाए:



- 2. प्रत्येक विद्यार्थी पूरे माह की थीम के अनुसार दिए गए किसी एक प्रोजेक्ट को चुनकर उस पर काम करेगा।
- 3. एक्शन प्रोजेक्ट एक अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जायेगा , जो या तो उनके परिवार का सदस्य या मित्र आदि हो सकता है।
- 4. विद्यार्थी अपनी डायरी में एक्शन प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन शीट पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे और लिखेंगे।
- 5. विद्यार्थी अपने सर्वे और गेम से जुड़े अनुभव कक्षा में साझा करेंगे और साथ ही साथ खेल को करने में आने वाली चुनौतियों को भी बताएँगे। अधिक विवरण नीचे दिए गए हैं।

माहौल बनाना

क्या आपको पता है कि एक बार गाँधी जी से एक माँ ने संपर्क किया और उनसे कहा, 'मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, कृपया उसे ऐसा न करने को कहें। उन्होंने जवाब दिया ''मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, कृपया तीन हफ्ते बाद आएँ।" जब वह तीन सप्ताह बाद वापस लौटकर आईं तब गाँधी जी ने उनके बच्चे को मीठे से दूर रहने को कहा और बताया कि यह कैसे नुक़सानदेह है। माँ ने गाँधी जी से पूछा कि उसे इस काम के लिए तीन हफ्ते का इंतजार करने को क्यों कहा। गांधी जी ने कहा कि ''उस समय मैं खुद मीठा खाता था तो कैसे आपके बच्चे को इससे दूर रहने को कहता।" यह घटना बताती है कि गांधी जी स्वयं और समाज के बारे में कैसे प्रयोग द्वारा सीखते थे।

इसे कक्षा में समानता के एक्शन प्रोजेक्ट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पढ़ा जा सकता है।



1. एक्शन प्रोजेक्ट 1

ऐसी चीज़ से तीन दिनों तक परहेज़ करें जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं या फिर जिसे छोड़ नहीं सकते। उदहारण के तौर पर टीवी/ फोन/ मिठाई/ जंकफूड/ स्पोर्ट या कोई अन्य चीज़ जिसे आप छोड़ना मुश्किल समझते हैं।

2. एक्शन प्रोजेक्ट 2

चलो देखें कि एक्शन प्रोजेक्ट 2 क्या है। कक्षा में जल्दी से एक प्रयोग करते हैं। वह हाथ उठाएँ जिससे आप लिखते हैं। अब इसे पीछे अपनी पीठ पर रखें । अब अपनी पेंसिल को दूसरे हाथ में लेकर अपना नाम लिखें। तो आपको कैसा लगा। (कुछ प्रतिक्रिया लीजिए)।

एक्शन प्रोजेक्ट 2 - अपने आसपास के दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर 'समानता अड्डा' के रूप में एक सभा का आयोजन करें, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखें कि वे एक समान दुनिया के रूप में क्या देखना चाहते हैं। एक समान समाज के लिए किसी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलने की प्रतिज्ञा भी लें।

3. एक्शन प्रोजेक्ट 3

चलो अब तीसरे विकल्प पर चलें । अपने परिवार के किसी दूसरे लिंग के व्यक्ति के बारे में सोचें - यह आपकी माँ, बहन, पिता, भाई कोई भी हो सकते हैं । उनकी ऐसी पाँच भूमिकाओं की सूची बनाएँ जो उन्हें उनके जेंडर रोल की वजह से करने होते हैं - जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना माँ का काम है। कैसा होगा यदि आपको यह कार्य करने पड़ें? कुछ प्रतिक्रिया लीजिए।

एक्शन प्रोजेक्ट ३ - एक दिन के लिए एक विपरीत लिंग के व्यक्ति का जीवन व्यतीत करें और उसके द्वारा किए जाने वाले रोजमर्रा के सभी कार्यों को पूरा करें।

4. एक्शन प्रोजेक्ट 4

ऐसे जन्मदिन के उपहार के बारे में सोचिये जो बेहतरीन रहा हो। कुछ प्रतिक्रिया लीजिए- क्या यह संभव था कि आपसे कम लाभ की स्थिति में रह रहे किसी व्यक्ति को यह उपहार मिल सकता था? पर क्या हम नहीं जानते कि उपहार का महत्व पैसों से नहीं परन्तु उस से जुड़े प्रेम से है। तो हम किस तरह वंचित या अलाभकारी की स्थिति में रह रहे मित्र के प्रति यह भावना प्रकट कर सकते हैं। वहाँ वंचित दोस्त का अर्थ है - जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर तथा अधिकारों और संसाधनों के मामले में वंचित स्थिति में है।

एक्शन प्रोजेक्ट 4 - किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त उपहार बनाएँ, जिसके पास आपकी तुलना में कम संसाधन हों, और आप उसे वह उपहार दें।

एक्शन प्रोजेक्ट का चयन

विद्यार्थियों को अपने पसंद के एक्शन प्रोजेक्ट चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि लगभग सभी एक्शन प्रोजेक्ट में ठीक-ठाक नंबर में विद्यार्थी हों, ताकि दूसरे सप्ताह की चर्चा के दौरान सारे विद्यार्थियों के लिए अधिकतम सीख के पर्याप्त अवसर हों। शिक्षक नंबर देकर 1, 2, 3, 4, आदि द्वारा भी समूह बना सकते हें और विद्यार्थियों को चारों एक्शन प्रोजेक्ट में विभाजित कर सकते हैं।

शिक्षक नोट- समानता के मूल्य पर चर्चा के दौरान समाज में संसाधनों और विशेषाधिकारों के असमान वितरण के पहलू सामने आएँगे। शिक्षक, विद्यार्थियों के प्रश्नों और दुविधाओं को लेने में हिचकें नहीं। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील होकर शिक्षक इस चर्चा को संचालित करें। आलोचनात्मक चेतना को बढावा देते हुए, अपनी किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए, विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच को बढावा दें। विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वे अपने विशेषाधिकार/ अनुभव दूसरों के साथ साझा करें और समान तथा न्याय पूर्ण समाज के अधिवक्ता बनें।

सप्ताह 2

सर्वे पर चिंतन

- यह सप्ताह विद्यार्थियों द्वारा सर्वे से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर व्यक्तिगत और समूह में विचार/ रिफ्लेक्शन करने के साथ शुरू होता है।
- 2. शिक्षक विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। सीख को मज़बूत करने के लिए व चर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रश्नों को शिक्षक द्वारा पूछा जा सकता है:
 - क्या आपको लगता है कि व्यक्तियों के साथ संपत्ति/काम के आधार पर समाज में अलग व्यवहार किया जाता है ? ऐसे आधारों की सूची बनाएँ जिस के तहत लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है।
 - क्या आपको लगता है कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले, फायदे में/ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और कुछ लोग नुकसान में/ वंचित होते हैं? आपको क्या लगता है कि यह असमानता क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है?
 - रोजमर्रा के जीवन में अनुभव किए जाने वाली असमानताओं में समाज के नियम, परंपरा, मूल्यों की क्या भूमिका है।
 - हमारे रोजमर्रा के जीवन में समानता का मूल्य, व्यवहार में आए इसके लिए क्या किया जा सकता है ?

एक्शन प्रोजेक्ट पर चिंतन (केवल कक्षा 6 से 8)

जब विद्यार्थी अगले सप्ताह लौटते हैं, तो उन्हें सामान्य एक्शन प्रोजेक्ट समूहों में शामिल करें। समूहों में वे साझा करें कि क्या अच्छा हुआ और एक्शन प्रोजेक्ट्स करने में उनकी क्या चुनौतियाँ रही ? अपने अनुभवों को भी बताएं कि उन्हें कैसा लगा। कुछ मिनटों तक ऐसा करने के बाद, प्रत्येक एक्शन प्रोजेक्ट समूह के एक सदस्य को अनुभवों का सारांश साझा करने को कहें। फैसिलिटेटर एक बड़े समूह चर्चा में निम्नलिखित सवालों के साथ विद्यार्थियों की समझ को बढ़ावा दे सकते हैं:

- एक्शन प्रोजेक्ट के आधार पर सोचिए कि आपके पास वे कौन से विशेषाधिकार हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं ?
- क्या किसी अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति के बारे में आपकी धारणा में कोई बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि अब आप उनके साथ अलग तरह से जुड़ सकेंगे? किस तरह, इसका उल्लेख करें ?
- अपने आसपास समानता को बढावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

फैसिलिटेटर एक्शन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से निकले हुए अनुभवों का सार बताते हुए, समाज में प्रचलित असमानता की बारीकियों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे । विद्यार्थीं यह आत्मसात करेंगे कि सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता जरूरी है और शायद आगे बढ़कर अपने क्षेत्रों में समानता के पक्षधर भी बनेंगे। एक्शन प्रोजेक्ट 1 और 2 दूसरे लोगों की वंचित स्थिति का अनुभव करने और उनके प्रति समानुभूति पैदा करने से संबंधित है। यह समाज में मौजूद असमानता पर प्रश्न उठाने में भी मददगार होंगे। एक्शन प्रोजेक्ट 3, विद्यार्थियों को परिवार के सदस्य की अलग जेंडर भूमिका को निभाते हुए, उनके नज़रिये को समझने में मदद करेगा। एक्शन प्रोजेक्ट 4 अपने से वंचित लोगों के लिए प्यार की भावना बढ़ाने में मददगार होगा। इस विचार से अंत करें कि अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखने की और समानता को बढावा देने की ज़रुरत है।

गहराई से समझना (केवल कक्षा 9 एवं 11 के लिए)

- यह भाग समानता पर कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों में गहरी समझ विकसित करने और सर्वे के बाद उनकी सोच और निष्कर्षों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए है।
- 2. शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी समानता से सम्बंधित समझ को कक्षा में शेयर करने के लिए कहेंगे, जो उन्होंने सर्वे की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर बनाईं है। शिक्षक निम्न प्रश्नों के माध्यम से अधिगम को सारांशित कर सकते हैं:
 - आपने समानता के बारे में निम्नलिखित के अनुसार क्या समझा :
 - समाज के विभिन्न वर्गों में संसाधनों का वितरण
 - समाज के अलग-अलग समूहों जैसे कि पुरुषों और महिलाओं, जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित समूहों आदि को मिलने वाली अवसर की समानता
 - आपने सर्वे के दौरान जो पाया क्या वह आपकी पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ज्ञान से मेल खाता है? अपने जांच के परिणामों को आप किताब में पढ़ी अवधारणाओं से किस तरह जोड़ सकते हैं?
 - संपत्ति, संसाधन, सामाजिक सम्मान, शक्ति आदि तक पहुँच में, समाज के अलग-अलग समूहों के मध्य अंतर क्यों है? समाज को अधिक समान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

प्रोग्राम: पैनल परिचर्चा

- स्टूडेंट काउंसिल क्लब तीसरे सप्ताह के लिए महीने के विषय के अनुसार पैनल परिचर्चा का प्रबंध कराएगा ।
- कक्षा 6 से 8 के चयनित विद्यार्थी एक पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे व
 कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी दूसरी पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे।
- कक्षा 6 से 8 में से प्रत्येक के दो-दो निपुण वक्ता और कक्षा 9 एवं
 11 से प्रत्येक के तीन-तीन निपु ण वक्ता अपनी कक्षा का
 प्रतिनिधित्व करते हुए स्टूडेंट काउंसिल क्लब की तरफ से आयोजित
 पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे (हर पैनल में कुल 6 विद्यार्थी होंगे)।
- स्टूडेंट काउंसिल क्लब अभिभावकों, सदस्यों, एलुमनाई और समुदाय के अन्य सदस्यों को पैनल परिचर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे।
- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी पैनल पिरचर्चा में अपने समानता सम्बन्धी सर्वे के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर चर्चा करेंगे।
- कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी सर्वे से प्राप्त अनुभव, पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ज्ञान, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर पैनल परिचर्चा में चर्चा करेंगे।
- स्टूडेंट काउंसिल क्लब के प्रभारी शिक्षक ही मॉडरेटर के रूप में पैनल परिचर्चा को चलाएंगे । पैनल परिचर्चा सम्बन्धी दिशानिर्देश पाठ योजना में दिए जायेंगे । इसके साथ साथ सम्बन्धित प्रश्न भी क्यूकार्ड में दिए जाएँगे।

मॉडरेटर की भूमिका

फैसिलिटेटर

एजेंडा सेट करना, चर्चा सही दिशा में हो इस पर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करना, साथ ही साथ हर पैनलिस्ट/ वक्ता को अपनी राय देने का मौका देना।

सप्ताह 3

समय निर्धारक

निर्धारित एजेंडे के अनुसार चर्चा निर्धारित समय और विषय अनुसार रहे । किसी एक बिंदु पर बहुत कम और बहुत अधिक समय न लगे इसका भी ध्यान रखें ।

संवाद कर्ता

चर्चा जीवंत रहे और हर वक्ता विषय केंद्रित रहे । श्रोताओं को भी पैनेलिस्ट से प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं जो विषय से सम्बन्धित हो।

एनरजाइजर

मॉडरेटर श्रोताओं को पैनल परिचर्चा के साथ जोड़े रखेंगे।

तटस्थ और उद्देश्यपरक

मॉडरेटर अपने पूर्वाग्रहों और अपने व्यक्तिगत भावों को प्रदर्शित न करें , न ही किसी पक्ष का साथ दें और न ही किसी विचार को ख़ारिज करें ।

सारांश और सकारात्मक अंत

सभी पैनेलिस्ट के विचारों को श्रोताओं के समक्ष सकारात्मक भाव से सारांशित किया जायेगा साथ ही जो भी पैनल में विचार साझा किए गए उन्हें अधिगम रूप में सारांशित किया जाएगा।